भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1515
दिनांक 7 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता

1515. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) डेयरी उद्योग से संबंधित केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की डेयरी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) 'ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?'

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/ घटकों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना: इच्छुक उद्यमियों को इस घटक के तहत 50 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है; (ii) आईवीएफ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम; इच्छुक किसानों को इस घटक के तहत प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था हेतु 5000 रु. की दर से सब्सिडी उपलब्ध है और (iii) सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस घटक के तहत किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था हेतु 750 रु. की दर से सब्सिडी उपलब्ध है।

(ii) राज्य डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज छूट के रूप में से एक मुश्त सहायता को सम्मिलित किया गया।

(iii) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)- इस योजना को दुग्ध प्रसंस्करण मूल्य वर्धन और प्रशीतन सुविधाओं के सृजन/ सुदृढीकरण, उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, नाबार्ड बाजार से निधि इकट्ठा करता है और उसे 2.5 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों को ऋण संवितरित करता है। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को 2.5 प्रतिशत ब्याज छूट उपलब्ध कराता है।

(iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)- एएचआईडीएफ के तहत क्रेडिट का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को इस योजना के तहत 3% ब्याज छूट उपलब्ध कराई जाती है।

(v) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)- सरकार ने पशुपालक किसानों और मत्स्यपालक किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा को विस्तारित किया है जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें ऐसे टीनेंट किसान शामिल हैं जिनके पास स्वयं का/किराये का/लीज पर लिया गया शेड है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार विद्यासागर गोसंवर्धन योजना लागू कर रही है जिसमें न्यूनतम 5 पशुओं की डेयरी यूनिट की स्थापना के लिए 10.00 लाख रुपये तक की अधिकतम परियोजना लागत प्रदान की जा रही है। इसमें मर्जिन मनी के रूप में सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25%, अिधकतम 1.05 लाख रु और अ.जा./अ.ज.जा. के लिए परियोजना लागत का 33%, अधिकतम 2.00 लाख रु. दिए जा रहे है। 7 वर्षों के लिए बैंक ऋण पर अधिकतम 25000/-प्रति वर्ष तक 5% की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।

पशुपालन और डेयरी विभाग देश में पशुपालन क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

(i) देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के अनुवांशिक उन्नयन और बोवाइनों के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन।

(ii) उद्यमिता विकास और कुक्कुट, भेंड, बकरी और सुअरों में नस्ल सुधार जिसमें आहार और चारा विकास भी शामिल है, के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

(iii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (क) पेास्ट उेस पेटिस रूमिनेंटर (पीपीआर) के अन्मूलन और नियंत्रण के लिए, क्लासिक स्वाइन ज्वर और अन्य पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण हेतु; (ख) पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण जिसमें मोबाइल पशुचिकित्सा इकाई भी शामिल है।

(iv) पशुधन में खुरपका व मुंहपका और ब्रूसोलोसिस के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

(v) गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन, खरीद, दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण सृजन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम।

****